बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

संoसंo–लoसिंoमोo–बैठक–51/2016–(Part-II)-1284(अनु0) /पटना, दिनांक– 25-06-2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, ...।
सभी अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई अंचल, ...।
सभी मुख्य अभियन्ता,
लघु जल संसाधन विभाग, ...।

विषयः–**अपर मुख्य सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–20.06.2020 को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।**

महाशय,

अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–20.06.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जा रही है।

अनुरोध है कि इसका अनुपालन किया जाय।

विश्वासभाजन,

24/6/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1284(अनु0) /पटना, दिनांक– 25.06.2020

प्रतिलिपि–विशेष सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24/6/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\AWADH-2020\LETTER-20\JUNE-2020\VEDIO CONFRENCING BAITHAK-OFF-(20-06-2020)-25-06-2020.DOCX

25/6/20

अपर मुख्य सचिव, लघु जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-20/06/2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ की गयी समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ।

योजनाओं की समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा "जल-जीवन-हरियाली" अंतर्गत चल रही योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए निम्न निदेश दिये गये:-

1. जिन-जिन योजना का कार्य 80 से 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो गया हो तथा योजना उपयोगी हो गयी हो तो उन योजनाओं को पूर्ण मानकर दिनांक- 30.06.2020 तक सभी कार्यपालक अभियंता प्रतिवेदन देंगे ।
   - सभी पूर्ण योजनाओं का पोस्ट लेवल विभागीय पोर्टल पर अपलोड़ किया जाय एवं पूर्ण होने का Status विभागीय Software में अद्यतन करें।
   - मापी पुस्त (MB) Post Level के साथ प्रत्येक तीन दिनो पर विभागीय पोर्टल पर अपलोड़ किया जाय ।
   - समीक्षा के क्रम में लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा, सीतामढ़ी, लखीसराय, औरंगाबाद, दरभंगा एवं नवादा द्वारा विभागीय पोर्टल पर कराये गये कार्य के विरूद्ध कम MB अपलोड करने के कारण, कारण पृच्छा करने का निदेश अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय अनुश्रवण को दिया गया ।
   - मापी पुस्त (MB) में विभागीय अभियंताओं यथा: कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता का नाम एवं पदनाम सहित हस्ताक्षर रहना अनिवार्य है ।
   - जिन बड़ी योजनाओं का कार्य दिनांक- 30.06.2020 तक पूर्ण नहीं हो पाती है, वैसी योजनाओं के मिट्टी के कार्य को दिनांक 30.06.2020 के बाद बन्द कर दिया जाय तथा Post Level अंकित कर दिया जाय । वैसी योजनाओं का कार्य Monsoon के बाद कराया जा सकता है । संरचनाओं का कार्य दिनांक 30.06.2020 के बाद भी जारी रहेगा बशर्ते कि Foundation का कार्य करा लिया गया है ।
   - जिन योजनाओं पर अतिक्रमण है वैसी योजनाओं की भी सूची विभाग को उपलब्ध करायी जाय ताकि बरसात बाद जिलाधिकारी से समन्वय कर अतिक्रमण मुक्त कराकर उसका कार्य कराया जा सकें ।
   - दिनांक 30.06.2020 तक सभी कार्यपालक अभियंता बन्द की गयी (पूर्ण) योजनाओं की सूची मुख्य अभियंताओं के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे एवं Software में भी अद्यतन करेंगे।
   - जिन योजनाओं का कार्य Monsoon के बाद जारी रखना है वैसी योजनाओं के Time Extention का प्रस्ताव मुख्य अभियंता दिनांक 15.07.2020 तक विभाग को उपलब्ध करा देंगे ।
   - क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा इस संदर्भ में जो भी पत्राचार किया जायेगा उसकी प्रविष्टि विभागीय पोर्टल पर अपलोड़ किया जाय ।
   - जिन योजनाओं का जिला पदाधिकारी द्वारा गठित जांच दल से जांच करा ली गयी है और कार्य 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है एवं संतोषजनक/अच्छा पाया गया है वैसी योजनाओं पर द्वितीय किस्त की राशि हेतु जिला पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित अधियाचना उपलब्ध करायी जाय ।

- जो योजनायें कतिपय कारणों से "होल्ड" की श्रेणी में हो उसे भी अविलंब वेब पोर्टल पर कारण सहित दो दिनों के अन्दर अपलोड़ करना सुनिश्चित किया जाय ।
- संवेदक योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन, निरीक्षण प्रतिवेदन, फोटो प्रत्येक तीन दिनों पर अपने Login Passoword से वेब पोर्टल पर अपलोड़ करेंगे । प्रत्येक संवेदक को Login Passoword अपलोड़ करने हेतु कार्य प्रारंभ से पूर्व ही "जल भवन" में दो बार प्रशिक्षण दिया जा चुका है । कन्ट्रोल रूम से वार्ता कर उन्हें गाइड भी किया गया था तथा कई बार User ID एवं Password बताया गया है । जो भी संवेदक प्रगति प्रतिवेदन, निरीक्षण प्रतिवेदन, फोटो अपलोड़ नहीं करते है वैसे संवेदक को कार्यपालक अभियंता यथोचित जुर्माना लगायेंगे । इसके लिए निविदा शर्तों में कंडिका-26-A में प्रावधान किया गया है ।

2. **तृतीय पक्ष मुल्यांकनः** योजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन भी कराया जायगा। इसके लिए सभी कार्यपालक अभियंता योजनाओं से सम्बन्धित अभिलेख अद्यतन रखेंगे ।

3. **बुकलेट** : माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा "जल-जीवन-हरियाली" अभियान अंतर्गत योजनाओं का माह जुलाई 2020 के द्वितीय सप्ताह में उद्घाटन प्रस्तावित है । इसके लिए विभागीय पत्रांक-1219(मो0), दिनांक-17.06.2020 द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
   - बुकलेट तैयार करने से संबंधित सभी सूचनाओं को अंकित करने का प्रावधान वेबपोर्टल सॉफ्टवेयर में किया गया है जिसमें योजनाओं से संबंधित सभी जानकारी यथा- पंचायत, राजस्व ग्राम, लाभान्वित ग्रामीण, जल संचयन क्षमता, संवेदक का नाम, वृक्षारोपण के लिए पौधो की संख्या एवं प्रत्येक योजनाओं की गुणवत्तापूर्ण फोटो (1. कार्य के पूर्व 2. कार्य के समय 3. कार्य समाप्ति का, फोटो का साईज कम से कम 01MB से 05 MB तक का होना चाहिए तथा वाट्सएप का फोटो नहीं होना चाहिए) । ये सभी सूचनायें वेब पोर्टल पर दो दिनों के अंदर अपलोड़ करना सुनिश्चित किया जाय ।

4. **वृक्षारोपण** :
   - जिन तालाबों के चारों ओर वृक्ष लगाना है वह 10 फीट से छोटा न हो ।
   - अधिकत्तर पौधा फलदार हो जैसे- आम, जामुन, सहजन इत्यादि ताकि आगे भविष्य में ग्रामीणों को इसका भी लाभ मिल सकें ।
   - योजनाओं में जो भी पौधा लगाना है उसकी सूची विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड़ करेंगे ।
   - DM के माध्यम से DFO से समन्वय कर लें ।

5. **शिकायतों का निष्पादन** :
   - विभागीय पोर्टल पर दिनांक-20.06.2020 तक जितनी भी शिकायत अपलोड़ है उसे तीन दिनों (72 घंटों में) के अंदर निष्पादित किया जाय एवं की गयी कार्रवाई को पोर्टल पर अपलोड़ किया जाय ।
   - सभी मुख्य अभियंता की जिम्मेवारी होगी की प्राप्त शिकायतों का निष्पादन समय सीमा के अंदर कराना सुनिश्चित करेंगे ।

6. **पाँच एकड़ से अधिक की योजना** :
   - वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 11,000 योजनाओं में से 5500 योजनाओं पर कार्य लघु जल संसाधन विभाग द्वारा प्रारंभ करना है ।

- सभी कार्यपालक अभियंता अपने प्रमण्डल अंतर्गत कनीय अभियंता को पाँच एकड़ से अधिक की योजनाओं को बराबर-बराबर बाँट कर डी०पी०आर० बनाने हेतु निदेशित करेंगे ।
- योजनाओं का डी०पी०आर० कनीय अभियंता तैयार करेंगे । कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस कनीय अभियंता के कार्यक्षेत्र की योजना है वे उसका डी०पी०आर० नहीं बनावें । उस योजना की मापी एवं Pre-Level लेकर दूसरे कनीय अभियंता डी०पी०आर० तैयार करेंगे ।
- डी०पी०आर० का शत प्रतिशत जांच दूसरे प्रमंडल से करायी जायेगी ।
- Software के माध्यम से उक्त व्यवस्था की Tracking होगी ।

7. <u>विभाग द्वारा निर्गत पत्र का अनुपालन</u> :

- अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय अनुश्रवण कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-1232(मो०), 1235(मो०), 1236(मो०), 1237(मो०) एवं 1238(मो०), दिनांक- 19.06.2020 द्वारा दिये गये निदेश का शत् प्रतिशत अनुपालन ससमय कराया जाय ।

8. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि तालाब के किनारे गहरा ट्रेंच बना कर दिया गया है, परन्तु तालाब के बीच में खुदाई नहीं की गयी है जो कार्य में लापरवाही एवं अनियमिता को दर्शाता है । निदेश दिया गया कि सभी योजनाओं की पूरी मापी लेना सुनिश्चित करें तथा उस पर त्वरित कार्रवाई करें ।

- लघु सिंचाई प्रमण्डल, मधुबनी एवं सीतामढ़ी में चल रही योजनाओं की समीक्षा के क्रम में तालाबों का स्लोप लगभग 60-80 डिग्री का पाया गया जो सही प्रतीत नहीं होता है । ऐसी अवस्था में Bank की मिट्टी के क्षरण होने की अधिक संभावना है ।

  निदेश दिया गया कि मिट्टी के Characteristics के अनुसार Bank का स्लोप बनाया जाय।

9. प्रत्येक जिला में क्रियान्वित हो रही पाँच योजनाओं को जिला पदाधिकारी के माध्यम से चयन करते हुये उसकी सूची कार्यपालक अभियंता उपलब्ध करायेंगे । जिलाधिकारी द्वारा जिन योजनाओं को चिन्हित किया जायेगा उन योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अल्प पूर्व सूचना पर निरीक्षण किया जा सकता है ।

10. योजनाओं के उद्घाटन के समय योजना स्थल पर उपस्थित किसानों से माननीय मुख्यमंत्री संवाद भी करेंगे इसके लिए योजना स्थल के निकट संवाद हेतु आवश्यक व्यवस्था कार्यपालक अभियंता करेंगे ।

11. सभी मुख्य अभियंता स्वयं अपने प्रक्षेत्र की योजनाओं का उद्घाटन से संबंधित कार्यों का अपडेट लेते रहेंगे एवं पोर्टल पर अपलोड़ भी करेंगे ।

12. उद्घाटन के समय जी टीवी बिहार, न्यूज 18 बिहार, फेसबुक एवं यू-ट्यूब से सीधा प्रसारण किया जाना है । इसके लिए सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग एवं बेल्ट्रॉन को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जाय ।

24/06/2020

(गोपाल मीणा)
विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।